

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25022022-233753 CG-DL-E-25022022-233753

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 109]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 24, 2022/फाल्गुन 5, 1943 NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 24, 2022/PHALGUNA 5, 1943

No. 109]

भारतीय भेषजी परिषद

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 2022

डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन विनियम, २०२२

सं. 14—285 / 2021-मा.मे.परि.—भेषजी अधिनियम, १६४८ (१६४८ का ८) की धारा १० द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए भारतीय भेषजी परिषद, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात:-

9. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:-

- (i) इन विनियमों को "डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन विनियम, २०२२" के नाम से जाना जाएगा।
- (ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

२. परिभाषाएँ:-

इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

- (क) 'अधिनियम' से अभिप्राय भेषजी अधिनियम, १६४८ (१६४८ का ८);
- (ख) "नामांकन तथा अभ्यास के लिए पात्रता प्रमाण पत्र" का अर्थ किसी उम्मीदवार को निर्धारित प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र, जिसने एग्जिट परीक्षा उत्तीर्ण की है;
- (ग) 'भारतीय भेषजी परिषद् (पीसीआई)' से अभिप्राय भेषजी अधिनियम, १६४८ की धारा ३ के अधीन गठित भारतीय भेषजी परिषद;

1323 GI/2022

- (घ) "राज्य फार्मेसी परिषद" से अभिप्राय भेषजी अधिनियम, १६४८ की धारा १६ के तहत राज्य सरकार द्वारा गठित राज्य परिषद;
- (ङ) ''अनुमोदित" से अभिप्राय भारतीय भेषजी परिषद द्वारा भेषजी अधिनियम, १६४८ की धारा १२ या धारा १४ के तहत अनुमोदित;
- (च) "डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन" से अभिप्राय निर्दिष्ट प्राधिकरण द्वारा एक पंजीकृत भेषज के रूप में नामांकन और अभ्यास हेतु डिप्लोमा इन फार्मेसी धारक को घोषित करने के लिए आयोजित की गई परीक्षा है;
- (छ) "परीक्षा प्राधिकरण"- से अभिप्राय किसी सांविधिक भारतीय विश्वविद्यालय या केंद्र या राज्य सरकार द्वारा गठित एक निकाय है और यह भेषजी अधिनियम, १६४८ की धारा १२ (२) के तहत भारतीय भेषजी परिषद द्वारा अनुमोदित होना चाहिए;
- (ज) "भेषजी रिजस्टर" से अभिप्राय भेषजी अधिनियम, $9 \in 8 \subset क$ अध्याय IV के अधीन राज्य भेषजी परिषद द्वारा तैयार और रखा गया भेषजज्ञों का रिजस्टर है;
- (झ) "निर्धारित प्राधिकरण" से अभिप्राय पीसीआई द्वारा डिप्लोमा इन फार्मेसी धारकों के लिए एग्जिट परीक्षा आयोजित करने के प्रयोजनार्थ स्थापित प्राधिकरण है और इसमें वह प्राधिकरण शामिल है जिन्हें पीसीआई द्वारा नामोनिर्दिष्ट किया जा सकता है;
- (ञ) "पंजीकृत भेषज" से अभिप्राय ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम उस राज्य के रजिस्टर में उस समय दर्ज है जिसमें वह उस समय निवास कर रहा है या भेषजी की अपनी वृत्ति या उसका कारोबार कर रहा है।

३. उद्देश्यः-

डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन विनियम (डीपीईई) का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य भेषजी परिषद के साथ भेषजी के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार ने डिप्लोमा इन फार्मेसी (डी.फार्मा) पाठ्यक्रम में एक व्यापक व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्राप्त किया है जैसािक शिक्षा विनियम, २०२० अथवा भेषजी अधिनियम, १६४८ की धारा १२ के तहत भारतीय भेषजी परिषद द्वारा अनुमोदित संस्थान में समय-समय पर लागू विनियमों में प्रावधान है और उसने दवाओं के वितरण और भेषजी अभ्यास के अन्य क्षेत्रों में तथा अपने अनुशासन, सत्यिनिष्ठा, निर्णय, कौशल, ज्ञान और सीखने की इच्छा को सुदृढ़ करने के लिए आधारभूत दक्षता प्राप्त की है तािक एग्जामिनेशन उत्तीर्ण करने के बाद, वह एक पंजीकृत भेषज बन सके जो अपने व्यावसाियक कार्यों और उत्तरदाियत्वों का वहन करने के अतिरिक्त अपने व्यावसाियक कौशल का उपयोग कर सके।

४. आवृत्ति:-

डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन आयोजित करने की योजना और परीक्षा के पाठ्यक्रम का विवरण, उम्मीदवारों की जानकारी के लिए, भारतीय भेषजी परिषद द्वारा समय-समय पर बताया जाएगा। उम्मीदवार, प्रत्येक वर्ष दो बार आयोजित परीक्षा में या विनिर्धारित प्राधिकरण द्वारा घोषित परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार, जितनी बार आवश्यक हो, एग्जिट एग्जामिनेशन दे सकता है। परीक्षा आयोजित करने की प्रक्रिया इस संबंध में भारतीय भेषजी परिषद द्वारा घोषित योजना के अनुसार होगी। निर्धारित प्राधिकरण द्वारा अभ्यर्थी को परीक्षा की तारीख और परीक्षा केंद्र का आवंटन, परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा।

५. उम्मीदवार का डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन के रूप में पंजीकरण:-

- (क) किसी भी व्यक्ति को उम्मीदवार के रूप में तब तक रिजस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि उसने भारतीय भेषजी परिषद द्वारा भेषजी अधिनियम, १६४८ की धारा १२ के तहत अनुमोदित किसी संस्था से भेषजी पाठ्यक्रम में डिप्लोमा उत्तीर्ण नहीं किया हो।
- (ख) उसे सभी प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ एक निर्धारित फॉर्म में एक आवेदन करना होगा जिसमें उसके द्वारा पीसीआई द्वारा अनुमोदित परीक्षा उत्तीर्ण करने और निर्धारित परीक्षा शुल्क का प्रमाण दर्शाया गया हो।

६. एग्जिट एग्जामिनेशन आयोजित करने की प्रक्रिया:-

- (क) पीसीआई, एग्जिट एग्जामिनेशन आयोजित करने के प्रयोजनार्थ, *निर्धारित प्राधिकरण के रूप में जाने वाला* प्राधिकरण स्थापित करे या किसी प्राधिकरण को *विनिर्धारित प्राधिकरण* नामनिर्दिष्टम करे जो पीसीआई द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाने वाली परीक्षाओं का संचालन करेगा।
- (ख) फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नॉसी, फार्मास्युटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, हास्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, फार्मास्युटिकल ज्यूरिस्युडेंस एंड ड्रग स्टोर मैनेजमेंट में बहुविकल्पीय प्रश्नों के तीन पेपर होंगे। परीक्षा की भाषा अंग्रेजी होगी। प्रत्येक पेपर की परीक्षा तीन घंटे की अवधि की होगी।

- (ग) उम्मीदवार को केवल तभी उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा, जब वह प्रत्येक पेपर में अलग से न्यूनतम ५० प्रतिशत अंक प्राप्त कर लेता है।
- (घ) अभ्यर्थी को तीनों पेपर एक ही प्रयास में उत्तीार्ण करने होंगे। हालांकि, परीक्षा में बैठने के प्रयासों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
- (ङ) सफल उम्मीदवार को नामांकन और अभ्यास के लिए पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा जिसे भेषजी के रूप में पंजीकरण के लिए राज्य भेषजी परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

७. उम्मीदवार का डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन उत्तीर्ण करने के बाद भेषजी के रूप में पंजीकरणः–

डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन उत्तीर्ण करने के बाद, उम्मीदवार, भेषजी अधिनियम, १६४८ में भेषजी के रूप में पंजीकरण का पात्र होगा अगर वह धारा ३२(२) में वर्णित शर्तों कों पूरा करता है। पंजीकरण के लिए आवेदन, राज्य भेषजी परिषद के रजिस्ट्रार को संबोधित किया जाएगा और इसके साथ निर्धारित शुल्क और दस्तावेज संलग्न होंगे जैसािक अधिनियम की धारा ४६(२)(जी) में उल्लेख किया गया है।

इन विनियमों के लागू किए जाने के बाद, फार्मेसी में डिप्लोमा का अनुमोदित पाठ्यक्रम पूरा करने वाले और डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन में अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवार ही भेषजी अधिनियम, १६४८ की धारा ३३ के तहत भेषज के रूप में पंजीकरण के लिए पात्र होंगे।

द. ये विनियम उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होंगे जिनके नाम राज्य के भेषजज्ञों के रजिस्टर में पहले से दर्ज हैं।

अर्चना मुद्गल, रजिस्ट्रार-सह-सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./663/2021-22]

PHARMACY COUNCIL OF INDIA NOTIFICATION

New Delhi, the 24th February, 2022

Diploma in Pharmacy Exit Examination Regulations, 2022

No. 14-285/2021-PCI.—In exercise of the powers conferred by sections 10 and 18 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India, with the approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely –

1. Short title and commencement:-

- (i) These regulations may be called the "Diploma in Pharmacy Exit Examination Regulations, 2022"
- (ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions:-

In these regulations, unless the context otherwise requires –

- (a) 'Act' means the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948);
- (b) "Certificate of eligibility for enrolment and practice" means a certificate issued by the prescribed authority to a candidate who has passed exit examination;
- (c) 'PCI' means the Pharmacy Council of India established under section 3 of the Pharmacy Act, 1948;
- (d) "State Pharmacy Council" means the State Council constituted by the State Government under section 19 of the Pharmacy Act, 1948;
- (e) "Approved" means approved by the Pharmacy Council of India under section 12 or section 14 of the Pharmacy Act, 1948;
- (f) 'Diploma in Pharmacy Exit Examination' means an examination held by the prescribed authority to declare a Diploma in Pharmacy holder eligible for enrolment and practice as a registered pharmacist;

- (g) "Examining Authority"- means a statutory Indian University or a body constituted by the Central or State Government and shall be approved by the Pharmacy Council of India u/s 12(2) of the Pharmacy Act, 1948;
- (h) "Pharmacy Register" means a register of pharmacists prepared and maintained by the State Pharmacy Council under Chapter IV of the Pharmacy Act, 1948;
- (i) "Prescribed Authority" means an authority established by the PCI for the purpose of conducting exit examination for Diploma in Pharmacy holders and includes an authority which may be designated so by the PCI;
- (j) "Registered Pharmacist" means a person whose name is for the time being entered in the register of the State in which he is for the time being residing or carrying on his profession or business of pharmacy.

3. Objective:-

The objective of the Diploma in Pharmacy Exit Examination (DPEE) is to ensure that a candidate applying for registration as pharmacist with the State Pharmacy Council has undergone pharmacy education and a comprehensive practical training programme in Diploma in Pharmacy (D.Pharm) course as provided in the Education Regulations, 2020 or the regulations that may be in force from time to time in an institution approved by Pharmacy Council of India under section 12 of the Pharmacy Act, 1948 and acquired core competencies in dispensing of medicines and other areas of pharmacy practice and to reinforce his discipline, integrity, judgement, skills, knowledge and quest for learning so that after having passed the examination he is able to become a registered pharmacist who is able to exercise his professional skills in addition to carrying his duty and responsibilities professionally.

4. Frequency:-

The details regarding the scheme for conducting the Diploma in Pharmacy Exit Examination and the syllabus of the test shall be announced by the Pharmacy Council of India from time to time for the information of the candidates. The candidates may appear for the exit examination conducted twice every year or as frequently as may be required as per the schedule of examination announced by the Prescribed Authority. The procedure of conducting the test shall be in accordance with the scheme announced by the Pharmacy Council of India in this regard. The date of examination and the examination centre will be allotted to the candidate by the Prescribed Authority based on the availability of the examination centres.

5. Registration as a Diploma in Pharmacy Exit Examination candidate:-

- (a) No person shall be registered as a Diploma in Pharmacy Exit Examination candidate unless he has passed Diploma in Pharmacy course from an institution approved by the Pharmacy Council of India under section 12 of the Pharmacy Act, 1948.
- (b) He shall be required to make an application in a prescribed form together with all relevant documents showing the proof of his passing the approved examination and the examination fee as may be prescribed by the PCI.

6. Procedure of conducting Exit Examination:-

- (a) The PCI may, for the purposes of conducting exit examination, establish an authority to be known as the Prescribed Authority or designate an authority as the Prescribed Authority that shall conduct the examinations as may be decided by the PCI from time-to-time.
- (b) There shall be three papers of multiple choice questions in Pharmaceutics, Pharmacology, Pharmacognosy, Pharmaceutical Chemistry, Biochemistry, Hospital and Clinical Pharmacy, Pharmaceutical Jurisprudence and Drug Store Management. The language of the examination shall be english. The test for each paper shall be of three hours' duration.
- (c) A candidate shall be declared as having passed only, if he obtains a minimum of 50% marks in each paper separately.
- (d) A candidate shall have to pass all the three papers in the same attempt. However, there shall be no restriction on the number of attempts to appear in the examination.
- (e) A certificate of eligibility for enrolment and practice shall be issued to the successful candidate which will be presented before the State Pharmacy Council for registration as a pharmacist.

7. Registration of the candidate as pharmacist after passing Diploma in Pharmacy Exit Examination:-

After having passed the Diploma in Pharmacy Exit Examination, a candidate shall be entitled to registration as a pharmacist subject to fulfilment of the conditions enumerated in section 32(2) of the Pharmacy Act, 1948. The applications for registration shall be addressed to the Registrar of the State Pharmacy Council and shall be accompanied by the prescribed fee and the documents as referred to in section 46(2)(g) of the Act.

After coming into force of these regulations, the candidates who have completed the approved course of Diploma in Pharmacy and having qualified in the Diploma in Pharmacy Exit Examination only will be eligible for registration as pharmacists under section 33 of the Pharmacy Act 1948.

8. These regulation shall not apply to the persons whose names are already entered in the register of pharmacists for the state.

ARCHNA MUDGAL, Registrar-cum-Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./663/2021-22]